



छात्रावास के लिए दिशा निर्देश

Guidelines for Hostel

- छात्रावास में प्रवेश के इच्छुक छात्र के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:
 1. मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट
 2. छात्र द्वारा उपक्रम(शपथ पत्र)
 3. माता-पिता द्वारा उपक्रम(शपथ पत्र)
 4. रैगिंग विरोधी शपथ पत्र
 5. डिग्री कार्यक्रम की शुल्क रसीद/विभाग के विभागाध्यक्ष/निदेशक का पत्र जिसमें छात्र को विभाग का प्रामाणिक छात्र माना गया हो।
 6. छात्रावास के आवेदन पत्र की प्रति
 7. विभाग के आवेदन पत्र की प्रति

The student seeking admission to the hostel shall have the following documents:

1. Medical Fitness Certificate
2. Undertaking by the student
3. Undertaking by the parent
4. Anti-Ragging Affidavit
5. Fee Receipt of Degree Programme/ Letter of the HOD/Director of department recognising the student as bona-fide student of department.
6. Copy of Application Form of Hostel
7. Copy of Application Form of department.

- छात्रावास में पुनः आवंटन के इच्छुक छात्रों को निम्नलिखित दस्तावेज भी जमा करने होंगे:
 1. विभाग के विभागाध्यक्ष/प्रभारी/निदेशक का विधिवत हस्ताक्षरित पत्र जिसमें यह अधिकृत किया गया हो कि छात्र ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। OR
 2. अंत सेमेस्टर परीक्षा की मार्कशीट की एक प्रति।
- The students seeking re-allotment to the hostel need to submit the following documents too:
 1. A duly signed letter from the HOD/Incharge/Director of the department authorizing that the student has passed the examination. OR
 2. A copy of the end semester examination marksheet.



छत्रपति शाहजीमहाराजविश्वविद्यालय, कानपुर-208024
CHHATRAPATI SHAHUJI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR
राष्ट्रीय मूल्यांकनप्रत्यायनपरिषद् द्वारा ग्रेड A++ प्राप्त विश्वविद्यालय
(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)
(Formerly known as Kanpur University, Kanpur)



- छात्र एवं अभिभावक को यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि वे सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी शिवाजी पुरुष छात्रावास एवं गंगा महिला छात्रावास में जमा करें एवं मुख्य वार्डन कार्यालय से गुलाबी पर्ची प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

The student and guardian must ensure that they should submit hard copy of all the documents and ensure to get the pink slip from the Chief Warden Office.

- छात्रावास मेस 16 July 2024 से प्रारम्भ होगी।


The Hostel Mess shall open from 16 July 2024.

- अभिभावक एवं छात्र को यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि छात्र या अभिभावक का कोई भी वाहन छात्रावास परिसर के भीतर नहीं ले जाया जाएगा। नियम का अनुपालन न होने पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा वाहन जब्त कर लिया जाएगा।

The guardian and student must ensure that no vehicle of the student or his/her guardian shall be taken within the hostel premises. Non-compliance of the rule shall result in forfeiture of the vehicle.

- छात्रावास परिसर 15 July 2024 से खुला रहेगा। किसी भी छात्र को नियत तिथि से पहले एवं उपरोक्त गुलाबी पर्ची प्राप्त करने के बाद ही छात्रावास में आने की अनुमति दी जाएगी।

The hostel premises shall be open from 15 July 2024. No student is allowed before the due date and only after obtaining the aforesaid pink slip.


11/7/24

Chief Warden
CSJM University